आरक्षित

उच्च न्यायालय , उत्तराखंड

नैनीताल

दांडिक निगरानी संख्या : 777 / 2019

रणवीर सिंह .....निगरानीकर्ता

बनाम

उत्तराखंड राज्य ……..... प्रत्यर्थी

उपस्थित-: श्री टी. ए.खान, वरिष्ठ अधिवक्ता, सहायक सुश्री सदफ़ गौड निगरानीकर्ता की ओर से

श्री वी. एस. राठौर, ए. जी. ए. राज्य की ओर से

<u>निर्णय</u>

<u>माननीय रविन्द्र मैठाणी, जे. (मौखिक)</u>

इस दांडिक निगरानी में निम्नलिखित चुनौतियों को शामिल किया गया हैः-

(1) द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, रुद्रपुर, जिला उधम सिंह नगर ('मामला') की अदालत द्वारा आपराधिक मामला संख्या 480/2011 राज्य बनाम रणवीर सिंह में दिनांक 08.10.2012 को पारित निर्णय और आदेश द्वारा, निगरानीकर्ता को भारतीय दंड भा.दं.सं. की धारा 420,467,468,471 के अन्तर्गत दोषी ठहराया गया है और निम्नलिखित रूप में सजा सुनाई गई हैः-

(i) भा. दं. सं. की धारा 420 से 2 वर्ष की अवधि के लिए कठोर कारावास भुगतना होगा। जुर्माने का भुगतान न करने की स्थिति में एक महीने की अग्रेतर अवधि के लिए व्यतिक्रम कारावास भुगतना होगा।

(ii) भारतीय दंड संहिता की धारा 467 से जुर्माने का भुगतान न करने की स्थिति में तीन साल के लिए सश्रम कारावास अग्रेतर एक महीने के लिए व्यतिक्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी।

(iii) भारतीय दंड संहिता की धारा 468 से अनुसारःजुर्माने का भुगतान न करने की स्थिति में तीन साल के लिए सश्रम कारावास अग्रेतर एक महीने के लिए व्यतिक्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी।

(iv) भारतीय दंड संहिता की खंड 471 से जुर्माने का भुगतान न करने की स्थिति में एक महीने की अग्रेतर अवधि के लिए व्यतिक्रम कारावास से गुजरना होगा।

(2) अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रुद्रपुर, जिला उधम सिंह नगर की अदालत द्वारा दाण्डिक अपीलीय सं 230/2012 रणवीर सिंह बनाम राज्य, में दिनांक 07.12.2019 को पारित निर्णय और आदेश द्वारा, इस मामले में दिनांक 08.10.2012 के निर्णय और आदेश को बरकरार रखा गया ।

2. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया।

3. विवाद को समझने के लिए संक्षेप में बताए गए आवश्यक तथ्य इस प्रकार हैं:-

पी0 डब्लू0 1 प्रमजीत सिंह ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संहिता) की खंड 153(3) के अंतर्गत एक आवेदन दायर किया, जो मामले का आधार है। उसके अनुसार, उसकी पत्नी ने मुख्तारनामा धारक मंजीत कौर के माध्यम से हरविंदर सिंह से 25 लाख रुपये में कुछ सम्पति खरीदी थी। जसवंत सिंह ने इसके मालिक स्वराज सिंह द्वारा मुख्तारनामा

मनजीत कौर के माध्यम से 11,66,000 रुपये में कुछ सम्पति खरीदी थी। लेकिन, आवेदन के अनुसार, गुरजीत कौर और जसवंत सिंह द्वारा खरीदी गई सम्पति पर कब्जा आदेश के लिए, एक साजिश के अंतर्गत निगरानीकर्ता ने सह-अभियुक्तों के साथ, 10.12.1995 को बिक्री के लिए एक जाली समझौता तैयार किया जो स्वराज सिंह और हरविंदर सिंह द्वारा निष्पादित किया गया है। बिक्री के समझौते पर स्वराज सिंह और हरविंदर सिंह के हस्ताक्षर जाली थे। उत्तर प्रदेश जमीदारी एव भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा 229 बी के बिक्री के लिए इस समझौते को जमीदारी एव भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा 229 बी के बिक्री की कार्यवाही में रखा गया था।आवेदन के अनुसार, 10.12.1995 को स्वराज सिंह और हरविंदर सिंह भारत में नहीं थे। वे इंग्लैंड में थे। इस आवेदन को स्वीकार किया गया और प्राथमिकी दर्ज की गई। विवेचना अधिकारी ने जानकारी एकत्र की और विवेचना के पश्चात निगरानीकर्ता के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया, जो मामले का आधार है। दिनांक 25.04.2012 को भारतीय दंड भा.दं.सं. की धारा 420,467,468,471 से निगरानीकर्ता के विरुद्ध आरोप विरचित किए गए। इस पर उन्होंने इनकार कर दिया और विचारण का दावा किया।

4. अपने मामले को साबित आदेश के लिए अभियोजन पक्ष ने छह गवाहों- पी0डब्लू01 परमजीत सिंह, पी0डब्लू02 हेमचंद्र शर्मा, पी0डब्लू03 श्रीमती पूनम मेहरोत्रा, पी0डब्लू0 4 खीम सिंह अधिकारी, पी0डब्लू0 5 मो.यामीन और पी0डब्ल्यू06 रविन्द्र सिंह टोलिया को परीक्षित कराया है।

5. संहिता की धारा 313 से के अंतर्गत निगरानीकर्ता की परीक्षा हुई। उसके अनुसार, उसे गलत तरीके से फंसाया गया है। अपने बचाव में, निगरानीकर्ता ने दो गवाह डी0डब्ल्यू01 अरुण कुमार और डी0डब्ल्यू02 वी. के. अग्रवाल प्रस्तुत किए हैं।

6. पक्षकारों को सुनने के पश्चात के पश्चात्, आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा, निगरानीकर्ता को दोषसिद्ध ठहराया गया है और दंडित किया गया है जैसा कि इसमें पहले कहा गया है। दिनांक 08.10.2012 के निर्णय और आदेश को अपील में असफल रूप से चुनौती दी गई है। इसलिए, निगरानी है ।

7. निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि नीचे की अदालतों ने निगरानीकर्ता को दोषी ठहराने में त्रुटि की थी। ऐसे दस्तावेजों को साक्ष्य के रूप में पढ़ा गया है, जो साबित नहीं किए गए हैं और साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य नहीं हैं। निगरानीकर्ता के विरुद्ध लगाए गए आरोप को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है। इसलिए, यह तर्क दिया जाता है कि आक्षेपित निर्णय और आदेश अपास्त करने के योग्य हैं और निगरानीकर्ता अपने विरुद्ध लगाए गए आरोप से बरी किए जाने के लिए उत्तरदायी हैं.

8. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष निगरानीकर्ता के विरुद्ध आरोप साबित करने में समर्थ रहा है।

9. यह एक निगरानी है। यह गुंजाइश आक्षेपित निर्णयों और आदेशों की शुद्धता, वैधता और औचित्य की जांच करने सीमा तक काफी सीमित है। पुनरीक्षण में, सामान्यतः साक्ष्य का मूल्यांकन तब तक नहीं किया जाता है जब तक कि निष्कर्ष विकृत अर्थात साक्ष्य के महत्व के विरुद्ध या अग्राह्य साक्ष्य पर विचार किया जाता है या तात्विक साक्ष्य पर विचार नहीं किया जाता है। सीमित दायरे के भीतर, न्यायालय तत्काल मामले की जांच करने के लिए आगे बढ़ता है।

10. पी0डब्ल्यू01 परमजीत सिंह मुखबिर है। उन्होंने संहिता की धार 156 (3) के अंतर्गत दिए गए अपने आवेदन को साबित कर दिया है, जो प्रदर्श क-1 है। उनके अनुसार मुख्तारनामा द्वारा जाली बनाया गया था। मुख्तारनामा दिनांक 10.12.2019 है, उस तिथि को, पीडब्ल्यू1 के अनुसार परमजीत सिंह, स्वराज सिंह और हरविंदर सिंह भारत में नहीं थे।

11. पी0डब्ल्यू02 हेमचंद्र शर्मा उप-जिलाधिकारी, जसपुर की अदालत में रीडर हैं। उसने बिक्री के लिए समझौते की एक प्रति दाखिल की है, जो प्रदर्श क-2 है और अधिनियम की धारा 229 बी के अंतर्गत दायर वादपत्र, जो प्रदर्श क-3 है ।

12. पी0डब्ल्यू03 श्रीमती पूनम मेहरोत्रा एक स्टांप विक्रेता हैं। उसने सामान्य प्राकृतिक साक्ष्य दिए हैं। उनके अनुसार, मुख्तारनामा प्रदर्श क-2 में, स्टांप विक्रेता का नाम दर्ज नहीं किया गया है। वह अदालत को बताती हैं कि जब भी विक्रेता टिकट बेचता है, तो वे अपने रजिस्टर पर एक पृष्ठांकन करते हैं और इस तरह का विवरण भी टिकट पर दर्ज किया जाता है ।

13. पी0डब्ल्यू0 4 खीम सिंह अधिकारी विवेचना अधिकारी हैं। उनके अनुसार, उन्होंने साइट प्लान तैयार किया। उन्होंने बताया कि उन्होंने स्वराज सिंह और हरविंदर सिंह को पत्र लिखे थे कि क्या उन्होंने 10.12.1995 को कोई मुख्तारनामा निष्पादित किया था। उन्होंने पत्रों और डाक रसीदों प्रदर्श क-4 से प्रदर्श क-7 को साबित किया ।

14. पी 0डब्लू0 4 खीम सिंह अधिकारी ने यह भी कहा है कि स्वराज सिंह और हरविंदर सिंह दोनों ने एक नोटरी पत्र के माध्यम द्वारा उनके द्वारा भेजे गए पत्र का जवाब दिया है और सूचित किया है कि वे 10.12.1995 को भारत में नहीं थे। उन्होंने दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से की गई जांच के बारे में भी बताया। उन्होंने अपने पत्र प्रदर्श क-8 को साबित किया। उन्होंने यह भी कहा है कि उन्हें विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय, नई दिल्ली से दिनांक 10.11.2010 का एक पत्र और उसके संलग्नक से पता चलता है कि 10.12.1995 को स्वराज सिंह और हरविंदर सिंह भारत में नहीं थे।

15. पी0 डब्ल्यू0 4 खीम सिंह अधिकारी ने विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय, आर के पुरम, नई दिल्ली- दिए गए अपने पत्र प्रदर्श क-9 और प्रदर्श क-10 को साबित किया। पी0डब्ल्यू04 खीम सिंह अधिकारी के अनुसार, उन्होंने स्वराज सिंह और हरविंदर सिंह से टेलीफोन पर पूछताछ की और दोनों ने कहा कि वे 10.12.1995 को भारत में नहीं थे।

16. पी0डब्ल्यू0 5 मोहम्मद.यामीन एक अधिवक्ता और सेवानिवृत्त उप-रजिस्ट्रार हैं। उन्होंने यह भी बताया है कि डाक टिकट कैसे खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं और पृष्ठांकित हैं। उनके अनुसार, बिक्री के समझौते, प्रदर्श क-2 पर हस्ताक्षर और पृष्ठांकन नहीं है।

17. पी0डब्ल्यू0 6 रविन्द्र सिंह तोलिया ने इस मामले में विवेचनापूरी कर आरोप पत्र प्रदर्श क-11 प्रस्तुत कर दिया है।

18. डी0डब्ल्यू0 1 अरुण कुमार ने निगरानीकर्ता द्वारा किए गए कुछ लेन-देन के बारे में बताया है। वह एक बैंक अधिकारी हैं। इसी तरह डीडब्ल्यू2 वी. के. अग्रवाल ने भी कुछ लेन-देन के बारे में बताया है। उन्होंने कुछ दस्तावेज भी साबित किए।

19. अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, निगरानीकर्ता ने 10.12.1995 को स्वराज सिंह और हरविंदर सिंह द्वारा निष्पादित किए जाने के लिए बिक्री का समझौता किया था। यह अभियोजन का मामला है कि स्वराज सिंह और हरविंदर सिंह उस तिथि को भारत में नहीं थे।

20. वास्तव में, यह मामला साक्ष्य विहीन है। पी0डब्लू0 1 परमजीत सिंह ने यह साबित नहीं किया है कि स्वराज सिंह और हरविंदर सिंह 10.12.1995 को भारत में नहीं थे। पीडब्लू 2 हेम चंद्र शर्मा ने केवल बिक्री के लिए समझौते की एक प्रति साबित की थी, जो प्रदर्श क-2 है। पीडब्लू 3 श्रीमती पूनम मेहरोत्रा और पीडब्लू 5 मोहम्मद.यामीन ने आम तौर पर स्टाम्प बेचने के बारे में बताया है। उन्हें कैसे खरीदा और बेचा जाता है और कैसे पृष्ठांकित किया जाता है।

21. पी0डब्ल्यू0 4 खीम सिंह अधिकारी ने कुछ दस्तावेज साबित किए हैं। उन्होंने स्वराज सिंह और हरविंदर सिंह को पत्र भेजे, जो प्रदर्श क-4 और प्रदर्श क-6 हैं। उनकी डाक रसीद प्रदर्श क-5 और प्रदर्श क-7 है। प्रदर्श क-4 और प्रदर्श क-6 नामक ये पत्र कुछ भी साबित नहीं करते हैं। ये केवल विवेचना अधिकारी पीडब्लू 4 खीम सिंह अधिकारी द्वारा स्वराज सिंह और हरविंदर सिंह से की गई बातचीत है। पीडब्लू 4 खीम सिंह अधिकारी द्वारा किए गए अन्य संवाद इस प्रकार हैं:-

(i) पी0डब्लू0 4 खीम सिंह अधिकारी द्वारा आप्रवासन अधिकारी, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली को दिनांक 22.10.2010 को किया गया एक पत्र।

(ii) प्रदर्श क-9, पीडब्लू 4 खीम सिंह अधिकारी द्वारा विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी, आर. के. पुरम, दिल्ली के कार्यालय को दिनांक 16.11.2010 को किया गया एक पत्र।

(iii) प्रदर्श क-10, पीडब्लू 4 खीम सिंह अधिकारी का दिनांक 09.11.2010 का एक पत्र एफआरआरओ, नई दिल्ली को लिखा गया।

22. उपर्युक्त पत्र कुछ भी साबित नहीं करते। ये पत्र 10 दिसंबर, 1995 को स्वराज सिंह और हरविंदर सिंह के ठिकाने के संबंध में पीडब्लू 4 खीम सिंह अधिकारी द्वारा किए गए हैं।

23. पी0डब्लू0 4 खीम सिंह अधिकारी ने दो दस्तावेजों के बारे में कहा है कि जिन पर विचारण न्यायालय और अपील न्यायालय द्वारा निगरानीकर्ता को दोषी ठहराने के लिए भरोसा किया गया है, वे विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी, नई दिल्ली द्वारा पुलिस अधीक्षक, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड को दिनांक 10.11.2010 को भेजे गए पत्र हैं। इसका एक संलग्नक भी है। यह निचली विचारण न्यायालय के अभिलेख पर कागज संख्या 7ए/68 है। अपने बयान के पृष्ठ 3 में, पी डब्लू 4 खीम सिंह अधिकारी ने बताया कि इसके अनुसार, 10.12.1995 को हरविंदर सिंह और स्वराज सिंह भारत में नहीं थे । दूसरा दस्तावेज स्वराज सिंह और हरविंदर सिंह द्वारा कथित रूप से भेजा गया एक नोटरी दस्तावेज है। यह निचली विचारण न्यायालय के अभिलेख में कागज संख्या 7ए/70 और 7ए/71 है। इस बयान के पृष्ठ 3 में, पीडब्लू 4 खीम सिंह अधिकारी ने इसके बारे में कहा है। उन्होंने बताया कि इन नोटरी दस्तावेजों के अनुसार, 10.12.1995 को स्वराज सिंह और हरविंदर सिंह भारत में नहीं थे।

24. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (" "साक्ष्य अधिनियम" ") से सिद्ध," "अस्वीकृत" "और" "अप्रमाणित" "को परिभाषित किया गया है।" साक्ष्य अधिनियम की

धारा 61 में यह उपबंध है कि दस्तावेजों की अंतर्वस्तु को या तो प्राथमिक या द्वितीयक साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सकता है।

25. साक्ष्य अधिनियम की धारा 67 इस बारे में उपबंध करती है कि किसी व्यक्ति के हस्ताक्षर और हस्तलेख को कैसे साबित किया जाए, जिसने कथित रूप से प्रस्तुत दस्तावेज हस्ताक्षरित या लिखा है। इसका पाठ इस प्रकार हैः-

> **"67. कथित रूप से हस्ताक्षर करने वाले या लिखित दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर और लिखावट का सबूत.-** यदि किसी दस्तावेज पर किसी व्यक्ति द्वारा पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से हस्ताक्षर किए जाने या लिखे जाने का अभिकथन किया जाता है तो उस व्यक्ति की लिखावट में जितना अभिकथन किया गया है, उसके हस्ताक्षर या लिखावट को उसकी लिखावट में साबित किया जाना चाहिए।"

26. किसी तथ्य को कैसे साबित किया जा सकता है, यह अधिनियम की धारा 59 और 60 से उपबंधित है।

27. मामले में पारित आक्षेपित निर्णय के पैरा 16 (XIII) और (XIV) में, अदालत ने विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी, नई दिल्ली से विदेशियों के क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी द्वारा कथित रूप से 10.11.2010 (7ए/68) की बातचीत के साथ-साथ नोटरी वाले दस्तावेज (7ए/70 और 7ए/71) का नोटिस लिया था। इस मामले में दिए गए आक्षेपित फैसले में अदालत ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 56 और 57 (6) का संज्ञान लिया है और उनकी मदद से, अदालत ने नोटोंराइज्ड दस्तावेजों के साथ-साथ विदेशियों के क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी, नई दिल्ली द्वारा 10.11.2010 की बातचीत को साक्ष्य में पढ़ा। यह कानून की एक त्रुटि है।

28. साक्ष्य अधिनियम की खंड 57 (6) इस प्रकार हैः-

"57. तथ्य जिनके बारे में न्यायालय को न्यायिक नोटिस लेना चाहिए।

न्यायालय निम्नलिखित तथ्यों पर न्यायिक संज्ञान लेगा:-

"(6) सभी मुहर जिनकी अंग्रेजी न्यायालय न्यायिक नोटिस लेते हैं । भारत के सभी न्यायालयों और केंद्र सरकार या क्राउन प्रतिनिधि के प्राधिकार द्वारा स्थापित भारत से बाहर के सभी न्यायालयों की मुहरः(क) न्यायालयों या नावधिकरण और समुद्री अधिकार क्षेत्र और नोटरी पब्लिक की मुहरों, और सभी मुहरों, जिनका उपयोग करने के लिए कोई व्यक्ति संविधान या यूनाइटेड किंगडम के किसी अधिनियम या संसद या भारत में कानून का प्रभाव रखने वाले किसी अधिनियम या विनियम द्वारा प्राधिकृत है."

29. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय उन सभी मुहरों का न्यायिक संज्ञान ले सकता है जिनका अंग्रेजी न्यायालय न्यायिक संज्ञान लेते हैं। न्यायालय पब्लिक नोटरी का न्यायिक संज्ञान भी ले सकता है। अधिक से अधिक, अदालत क्या न्यायिक संज्ञान ले सकती है कि पेपर 7ए/70 और एक्स 7ए/71 (निचली विचारण न्यायालय के रिकॉर्ड में) पर इंग्लैंड में कुछ नोटरी पब्लिक की मुहर थी। इससे अधिक से अधिक यह निष्कर्ष निकल सकता है कि ये दोनों दस्तावेज इंग्लैंड में नोटरी किए गए थे, लेकिन किसी दस्तावेज का निष्पादन उसकी अंतर्वस्तु को साबित नहीं करता है। मात्र इन नोटरीकृत दस्तावेजों के आधार पर, इसकी सामग्री साबित नहीं की जाती है। यदि स्वराज सिंह और हरविंदर सिंह द्वारा इन नोटराइज्ड दस्तावेजों में यह लिखा गया है कि वे 10.12.1995 को भारत में नहीं थे, तो भी यह साबित नहीं होता है कि 10.12.1995 को स्वराज सिंह और हरविंदर सिंह भारत में नहीं थे। ये दस्तावेज सबूत नहीं हैं। लेखक न्यायालय के समक्ष नहीं है। जिस व्यक्ति ने सामग्री लिखी है वह अदालत के समक्ष नहीं है। उसने प्रतिपरीक्षा के लिए स्वयं को उपलब्ध नहीं कराया है। ये दस्तावेज निगरानीकर्त्ता के विरुद्ध लगाए गए आरोपों से संबंधित कुछ भी साबित नहीं करते हैं।

30. निचली न्यायालय ने न्यायालय के अभिलेख में कागज संख्या 7ए/68 पर भी भरोसा किया है, जो विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी, नई दिल्ली द्वारा पुलिस अधीक्षक, उधम सिंह नगर को दिनांक 10.11.2010 को भेजा गया एक पत्र है। इस पत्र के साथ एक संलग्नक 'क' है, जिसे नीचे की अदालत ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए साक्ष्य के रूप में पढ़ा है कि इसके अनुसार, 10.12.1995 को स्वराज सिंह और हरविंदर सिंह भारत में नहीं थे। यह दस्तावेज 7ए/68 और इसके संलग्नक को साबित नहीं किया गया है। इसे किसने लिखा है? किसने भेजा ? इस संलग्नक क को साक्ष्य के रूप में कैसे पढ़ा जा सकता है? यह हाथ से लिखा हुआ लेख है। किसने हस्ताक्षर किए? यह एक अस्वीकार्य साक्ष्य है। इन दस्तावेजों को ध्यान में रखते हुए दोषसिद्धि दर्ज की गई है।

31. पी0डब्लू0 4 खीम सिंह अधिकारी ने यह भी बताया कि उन्होंने स्वराज सिंह और हरविंदर सिंह से टेलीफोन पर पूछताछ की और उन्होंने बताया कि वे 10.12.1995 को भारत में नहीं थे। पी डब्लू 4 खीम सिंह अधिकारी द्वारा किए गए ऐसे दावों पर आपराधिक आरोप साबित नहीं किया जा सकता है। उनके बयान इस पहलू के सुने-सुने सबूत हैं। सबसे अच्छा सबूत स्वराज सिंह और हरविंदर सिंह का सबूत होता। उन्हें विचारण में गवाह के रूप में बुलाया जाना चाहिए था। उनकी परीक्षा नहीं की गई। निम्न न्यायालय द्वारा जिन दस्तावेजों पर भरोसा किया गया है, वे स्वीकार्य नहीं हैं। उन्हें कानून के अनुसार साबित नहीं किया गया। उन्हें सबूत के तौर पर नहीं देखा जा सकता था। कोई कानूनी रूप से स्वीकार्य साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है जो निगरानीकर्ता के विरुद्ध आरोप साबित कर सके।

32. उपर्युक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय का विचार है कि अभियोजन निगरानीकर्ता के विरुद्ध आरोप साबित करने में पूरी तरह से विफल रहा है। तदनुसार, निगरानी स्वीकार किए जाने योग्य है ।

33. निगरानी स्वीकार की जाती है । दोनों आक्षेपित निर्णय और आदेशों दिनांकित 08.10.2012 और 07.12.2019 को अपास्त किया जाता है। निगरानीकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 420,467,468,471 के आरोप से बरी कर दिया गया है ।

34. निगरानीकर्ता जमानत पर है । उसका बांड रद्द किया जाता है और प्रतिभूतियों को उनके दायित्व से मुक्त किया जाता है। निगरानीकर्ता को आज से चार सप्ताह की अवधि के भीतर संहिता की धारा 437ए के से संबंधित अदालत की संतुष्टि के लिए एक निजी मुचलका और दो प्रतिभूतियां देनी होंगी।

35. निचली न्यायालय के अभिलेख के साथ इस निर्णय की एक प्रति नीचे के न्यायालय को प्रेषित की जाए।

(रविन्द्र मैठाणी, न्यायमूर्ति)
02.11.2022

Jitendra